भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3023

उत्तर देने की तारीख 26.03.2025

वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने हेतु प्रयास

3023 श्रीमती संगीता यादव:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने जनजातीय, घुमंतू और स्वदेशी समूहों के विकास को सुनिश्चित करके समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक पहल के माध्यम से वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई रूपरेखा या कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य मंत्रालयों/नीति आयोग के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है, जो 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में योगदान दे रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अजजा के विकास के लिए दो मिशन शुरू किए हैं, नामतः 24,104 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और 79,156 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए)। पीएम जनमन के उद्देश्यों को 9-संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। डीए जेजीयूए का उद्देश्य अभिसरण और आउटरीच तथा 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपायों के माध्यम से संतृप्त करना है। मंत्रालय इन अभियानों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/नीति आयोग के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के तहत अनुदान के तहत उनके प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रावधान के तहत वित्तपोषण का उद्देश्य राज्य को उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य द्वारा शुरू की जाने वाली विकास की ऐसी योजनाओं की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाना है।

वर्ष 2018-19 में जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। नई योजना के तहत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा । 2019 से पहले, शुरू में 288 ईएमआरएस स्कूलों को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया था। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अजजा छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं भी लागू करता है, जैसे अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति; अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति; अजजा उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति; और अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति और छात्रवृत्ति।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमशीलता सहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना "जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को सहायता" के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण वाले जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को मजबूत किया जा सके, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण गतिविधियों और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, जनजातीय त्योहारों के आयोजन, अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन के लिए यात्राओं और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में परियोजनाएं चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्त पोषित करता है।

इसके अलावा, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार, खानाबदोश (घुमंतू) जनजातियों का विषय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को आवंटित किया गाया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विमुक्त, खानाबदोश (घुमंतू) और अर्ध-खानाबदोश (अर्ध -घुमंतू) समुदायों के विकास एवं कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) के माध्यम से विमुक्त जनजातियों के विकास एवं कल्याण के लिए विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण (एसईईडी) की योजना को लागू कर रहा है। इसके अलावा, पात्र डीएनटी छात्र इसकी छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र हैं, जैसे ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति; ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति; ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की स्कूली शिक्षा; और ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की कॉलेज शिक्षा।
